The proposal to construct a new bridge at ITO is awaiting Cabinet approval and formal expenditure sanction. The construction work will start within 4 months from the date of the sanction.

The other bridges are at planning stage and no time frame can be indicated.

उत्तर प्रदेश में भूकम्प

211. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्रीमती कमला सिन्हा :
डा० बापू कालिदास :
श्री चतुरानन मिश्र :
डा. जैड ए. अहमद :
श्री बी. नारायणसामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरकाशी तथा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आए भूकम्प का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस भूकम्प में जान और माल की कितनी हानि हुई और घायल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 20 अक्टूबर, 1991 को बहुत तड़के ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक भूकम्प आया जिसका परिमाण रिक्टर स्केल पर 6.6 तथा केन्द्र 30.75° उत्तरी अक्षांश और 78.86° पूर्वी देशान्तर पर था ।

(ख) इस भूकम्प से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हानि हुई । हिमाचल प्रदेश सरकार से भी कुछ हानि की सूचना मिली है । पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से जहां पर इस भूकम्प के आघात महसूस किये गए किसी भी हानि की सूचना नहीं मिली है । उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा सूचित की गई हानियों का ब्यौरा अनुबन्ध में दे दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 4]

(ग) भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने वाले कार्यों का निष्पादन प्रथमतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । प्रत्येक राज्य के लिए एक आवंटित धनराशि से एक आपदा राहत कोष का गठन किया गया है जिसमें 75% का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान के रूप चार त्रैमासिक किस्तों में दिया जाता है और शेष 25% राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 1991–92 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंशदान की पहली तीन किस्तें सभी राज्यों के लिये निर्मुक्त की जा चुकी हैं ।

आपदा राहत कोष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाने वाला वार्षिक आवंटन 90.00 करोड़ रुपये है जिसमें 67.50 करोड़ रुपये केन्द्र का और 22.50 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान होता है । हाल के भूकम्प द्वारा हुई हानि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 16.87 करोड़ रुपए की धन राशि की चौथी किस्त 24.10.1991 को ही अग्रिम तौर पर जारी कर दी, जिसे सामान्य तौर पर जनवरी, 1992 में जारी किया जाना था ।

इस भूकम्प के कारण केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को दी गयी सहायता का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 5]

[श्री मुल्तपल्ली रामचन्द्रन]

12 NOON

[The Vice-Chairman, Shrimati Jayanthi Natarajan, in the Chair].

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam....

DR. RATNAKAR PANDEY: Madam

SHRI ISH DUTT YADAV: Madam,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): All of you, please sit down. First let the Papers be laid on the Table. I will call everybody. Let us finish one or two announcements before we take up your points.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on Wednesday, the 20th November, 1991, allotted time for Government Legislative and other business as follows:

Business	Time allotted
1. Consideration and passing of the Family Courts (Amendment) Bill, 1990	1 hour
2. Discussion on the Resolution seeking approval of the Proclamation dated the 11th October, 1991, in respect of the State of Meghalaya	3 hour
3. Consideration and passing of the following Bills :	
(a) The Indian Ports (Amendment) Bill, 1990	1 hour
(b) The National Trust for Welfare of Persons with Mental Retardation and Cerebral Palsy Bill, 1991	1 hour
4. Consideration and passing of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess (Amendment) Bill, 1991 after it is passed by the Lok Sabha	2 hours
5. Consideration and return of the Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1991 after it is passed by the Lok Sabha	2 hours

The Committee recommended that the House should sit up to 6.00 p.m. daily and beyond 6.00 p.m. as and when necessary, for the transaction of Government business.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING MONDAY THE 25TH NOVEMBER, 1991.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, with your permission I rise to announce Government business during the week commencing Monday, the 25th November, 1991, which consists of—

1. Further consideration and passing of the Family Courts (Amendment) Bill, 1990.

2. Discussion on the Resolution seeking approval of the Proclamation dated the 11th October, 1991, in relation to the State of Meghalaya.